बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

पत्रांक – वि॰प्रा॰(II) व^{2} – 21/2011– /पटना, दिनांक–

सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं0 हक) बिहार,
वीर चंद पटेल मार्ग, पटना।

विषय – पटना में डा॰ ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम साईस सिटी की स्थापना की स्वीकृति, साईस सिटी के लिए भवनों के निर्माण, प्रदर्श एवं स्थापना पर व्यय हेतु स्वीकृत कुल रू॰ 397.00 करोड़ (तीन सौ संतानवे करोड़ रूपये) मात्र के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू॰ 90.00 करोड़ (नब्बे करोड़ रूपये) मात्र बिहार काउन्सिल ऑन साईस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1333, दिनांक 07.06.2017 के द्वारा पटना में डा॰ ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम साईस सिटी की स्थापना की स्वीकृति, साईस सिटी के लिए भवनों के निर्माण, प्रदर्श एवं स्थापना पर व्यय हेतु कुल रू॰ 397.00 करोड़ (तीन सौ संतानवे करोड़ रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू॰ 94.00 करोड़ (चौरानवे करोड़ रूपये) मात्र बिहार काउन्सिल ऑन साईस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. राज्य सरकार ने साईस सिटी के लिए भवनों के निर्माण, प्रदर्श एवं स्थापना पर व्यय हेतु उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू॰ 90.00 करोड़ (नब्बे करोड़ रूपये) मात्र बिहार काउन्सिल ऑन साईस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

3. विमुक्ति हेतु उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्कीम बजट के मुख्यशीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–051–निर्माण, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0323–डा॰ ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम साईस सिटी के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड 43–4059800510323 है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, निदेशालय, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना होगें।

5. इस राशि की अग्रिम निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साईस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त राशि की अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

6. विमुक्ति हेतु उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगी।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(II) व^{2} – 21/2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(II) व^2 – 21/2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(II) व^2 – 21/2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि –प्रधान सचिव/अभियंता प्रमुख/मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(II) व^2 – 21/2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साईस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(II) व^2 – 21/2011– 2574 /पटना, दिनांक– 20/10/017

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय आप्त सचिव/अवर सचिव/संयुक्त निदेशक (वि॰)/उप निदेशक (यो)/ उप निदेशक (क॰)/विपत्र शाखा (दो प्रतियों में)/बजट सहायक/आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.10.17
सरकार के उप सचिव

20/10/17